राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक– लेखा–18/भौ.स./2017–18/ दिनांकः

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
जोन जयपुर/अजमेर/भरतपुर/
जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा।

विषयः–विशेष जांच प्रतिवेदन/भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना के संबंध में।
संदर्भः– इस कार्यालय के पत्र कमांक 3760 दिनांक 02.11.2017 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि विशेष जांच प्रतिवेदन/भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना भिजवाने के लिए आपको पूर्व में अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र एवं स्मरण पत्र जारी करने के पश्चात भी आपके अनुभाग से बकाया अनुच्छेदों की ठोस अनुपालना प्राप्त नहीं हो रही है। इस संबंध में दिनांक 15.11.2017 से दिनांक 30.11.2017 तक कैम्प आयोजित करने एवं प्राप्त अनुपालनाओं को अपनी टिप्पणी सहित निरस्त कराने के लिए निदेशालय को भिजवाये जाने के लिए पूर्व में भी लिखा था, परंतु आज दिनांक तक अनुपालना प्राप्त नहीं हुई है, जो कि कार्य के प्रति लापरवाही एवं घोर अनुशासनहीनता का प्रतीक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके एवं आपके अधीनस्थ सभी कार्यालयों के बकाया विशेष जांच/भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालनायें तैयार कराई जाकर मय प्रमाणक 15 दिवस में आपकी टिप्पणी सहित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के साथ आवश्यक रूप से इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक– लेखा–18/भौ.स./2017–18/6819-25 दिनांकः 08-3-18

प्रतिलिपि प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

C:\Users\saini\Desktop\hq folder\op sharma\letter.docx